# न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

| मु.नं. :107 / 2024 | तारीख रजू 06.12.2024 | निर्णय दिनांक 26.12.2024 |
|---|---|---|

**सरकार बनाम प्रसुन सुराणा**

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आरट्रोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि प्रसुन कुमार सुराणा पुत्र मानमल सुराणा जाति जैन निवासी गंगापुर सिटी ने ग्राम दौलतपुर के खसरा नं. 479 में रकबा 2.00 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से पक्की टीनशेड, 8 गह दुप्पला, घूडा डालकर एवं तारबन्दी कर गौशाला बनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि ग्राम दौलतपुर स्थित खसरा नंबर 479 किस्म गै0मु0 चारागाह का आवंटन प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सवाई माधोपुर के यहाँ विचाराधीन है अतः कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध अतिचार किया है। गैरसायल द्वारा उक्त चारागाह भूमि में से भूमि आवंटन संबंधी कोई आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा भेजे गये आवंटन प्रस्ताव में वर्णित भूमि से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 68/– की 50 गुना शास्ति 3400/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या ...........
पर रुपये 3400/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

# न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी

मु.नं. : 01/2024 रिमाईण्ड तारीख रजू : **25-06-19** निर्णय दिनांक : 27.12.2024

**सरकार बनाम शिवरतन**

**–: निर्णय :–**

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **गंगापुर सिटी** ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि श्री **शिवरतन** पुत्र श्री **सुरेश** जाति महाजन निवासी **गंगापुर सिटी** ने खसरा नं. 138 किस्म **चारागाह में रकबा 25 बाई 40 वर्गफीट भूमि में** वाकें ग्राम मिर्जापुर पर संवत् **2076** में अनाधिकृत रूप से पक्की दुकान बनाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिसमें न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 31.10.19 को पारित निर्णय में श्री **शिवरतन** पुत्र श्री **सुरेश** जाति महाजन निवासी **गंगापुर सिटी** द्वारा संवत 2076 में पक्की दुकान बनाकर गै0मु0 चारागाह भूमि अतिचार प्रमाणित होने के कारण उसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 4.80 की 50 गुणा शास्ति 240 रूपये से दण्डित किया जाकर, मौके से बेदखली के आदेश पारित किये गये।

जिस पर अतिक्रमी द्वारा न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 31.10.19 के विरूद्व न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, गंगापुर सिटी के यहां अपील कि गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.2024 के द्वारा इस आशय का निर्णय पारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पूर्ण पालना रिपोर्ट प्राप्त अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी की पत्नी जिसके द्वारा भी उक्त वाद आराजीयात गै0मु0 चारागाह पर अतिचार पाया जाता है, अतिक्रमी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर देते हुये पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

पत्रावली माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी से प्राप्त होने पर हल्का पटवारी गंगापुर सिटी से प्रकरण में पुनः जाँच करवाई गई। मुताबिक जाँच रिपोर्ट भूमि ख0नं0 138 किस्म गै0मु0 चारागाह में अतिक्रमी शिवरतन पुत्र सुरेश जाति महाजन द्वारा 25 बाई 40 वर्गफीट भूमि पर पक्का निर्माण/दुकान बनाकर पूर्व की भांति अतिक्रमण किया हुआ है। गैरसायल विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर गैरसायल द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि प्रार्थी को उक्त नोटिस गलत जारी किया गया है। प्रार्थी का उक्त दुकान से कोई हक संबंध नहीं है। उक्त भूखण्ड को जरिये इकरारनामा आशा देवी पत्नि राधाकृष्ण द्वारा क्रय किया है। तथा भूमि पूर्व में बशीर की खातेदारी की भूमि थी लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भूमि के 0.25 है0 को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया है जिसका रिकॉर्ड नकल मिलते ही पेश कर दिया जावेंगा। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित दस्तावेज/साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय दिया गया । गैरसायल की ओर से जरिये अधिवक्ता पुनः जबाव पेश किया कि प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है तथा उक्त भूमि के क्रय या खातेदारी भूमि होने के कोई दस्तावेज प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी की जानकारी के अनुसार आशादेवी ने सिविल

न्यायालय गंगापुर सिटी में दावा सं0 124/2024 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 सं0 178/2024 पेश कर दिया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान कर दिया है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। प्रकरण में गैरसायंल द्वारा अतिक्रमण नही करना अवगत कराया है। गैरसायल द्वारा कोई साक्ष्य/दस्तावेज या स्थगन आदेश पेश नहीं किया है। जबकि उपस्थित पटवारी हल्का अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा पूर्व में पक्की दुकान बनाकर जो अतिक्रमण किया था वह यथावत है तथा गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की है। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी